राजस्थान सरकार

उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

कमांकः प. 6 (15) उद्योग/ग्रुप–2/2012 जयपुर दिनांकः 15 JUN 2012

अधिसूचना

शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना

प्रस्तावना :

हस्तशिल्प हमारी अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रिकृत व असंगठित क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रमुखतः ग्राम्य आधारित है, और पिछडे व दुर्गम क्षेत्रों में फैला हुआ है । वर्तमान में हस्तशिल्प क्षेत्र रोजगार सृजन व निर्यात क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है परन्तु यह क्षेत्र असंगठित होने के कारण पिछडा हुआ है । यह क्षेत्र शिक्षा के अभाव, पूंजी के अभाव, नयी तकनीक की जानकारी के अभाव के कारण भी तीव्र दबाव में है । हस्तशिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्माताओं और केताओं को जोड़ने की दृष्टि से स्वयं या अपने अधीनस्थ संगठनों के माध्यम से कई प्रदर्शनियॉं आयोजित करवाई जा रही हैं । **"शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना"** ऐसी प्रदर्शनियों/मेलों में, जो राज्य सरकार/भारत सरकार उनके अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा स्वयं या सहयोग से आयोजित की जाती है, में आर्टीजन/हस्तशिल्पियों व बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिये है।

उद्देश्य :

1. आर्टिजन, हस्तशिल्पियों व बुनकरों को बाजार विकास के लिये प्रोत्साहित करना ।
2. राज्य के आर्टीजन, हस्तशिल्पियों व बुनकरों को मेले व प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना ।
3. युवा केताओं में राजस्थानी शिल्प को लोकप्रिय बनाना।
4. सुदूर क्षेत्र में रहने वाले कामगारों को उनके उत्पाद वास्तविक केताओं को विकय हेतु उपयुक्त प्लेटफार्म तैयार करना ।
5. कामगारों को नवीन बाजार की प्रवृत्ति व उनके उत्पादों में संभावित बदलाव की जानकारी हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराना ।

परियोजना अवधि :

योजना 01.04.2012 से 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी।

परिभाषाऐं :

1. "मेले व प्रदर्शनी" से अभिप्राय ऐसी प्रदर्शनी व मेले से है, जो राज्य सरकार/भारत सरकार या अधीनस्थ उपक्रमों/संस्थानों द्वारा राजस्थान या राज्य के बाहर आयोजित की गयी हो, या प्रायोजित की गयी हो। इस योजना में निजी क्षेत्र में प्रदर्शनी आयोजित करने वाली व्यवसायिक संस्थाऐं पात्र नहीं होगी।
2. "आर्टीजन, हस्तशिल्पी व हाथकरघा बुनकर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य में विनिर्माण कार्य कर रहे है और जिनके पास विकास आयुक्त हस्तशिल्प या हाथकरघा द्वारा प्रदत्त मान्य परिचय पत्र हो या जिला उद्योग केन्द्र से आर्टीजन हस्तशिल्प या हाथकर्घा उत्पाद निर्माण हेतु प्राप्त EM II की एक्नोलेजमेंट हो।
3. "मेले/प्रदर्शनी की अवधि" से तात्पर्य ऐसी अवधि से है जिसके लिए आयोजको ने प्रदर्शनी आयोजित की हो परन्तु किसी भी स्थिति में यह प्रदर्शनी अवधि 20 दिन से अधिक नहीं होगी।
4. "स्टाल शुल्क" से अभिप्राय आयोजकों द्वारा एक सामान्य स्टाल के लिए प्रदर्शनी अवधि हेतु निर्धारित न्यूनतम शुल्क है जिसमें स्टाल, आवश्यक फर्नीचर, विद्युत आदि की सामान्य सुविधाओं का शुल्क सम्मिलित है।
5. "यात्रा भत्ता" से अभिप्राय ऐसी राशि से है, जो आवेदक के निर्माण स्थल से प्रदर्शनी स्थल तक आने व जाने हेतु द्रुतगामी बस या रेल्वे के द्वितीय श्रेणी के शयन यान से यात्रा हेतु देय हो।
6. "दैनिक भत्ता" से अभिप्राय ऐसी राशि से है, जो एक व्यक्ति को प्रदर्शनी स्थल पर ठहरने, भोजन व काम नही कर पाने के कारण क्षतिपूर्ति हेतु योजना अनुसार देय है।

पात्रता:

वे सभी आर्टीजन, हस्तशिल्पी और हाथकरघा बुनकर व उनके स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर में कार्यरत SPV इस योजना में पात्र है, जो राजस्थान राज्य की सीमा में विनिर्माणरत हैं। इस हेतु विकास आयुक्त, हस्तशिल्प या हाथकरघा से जारी परिचय पत्र या जिला उद्योग केन्द्र से जारी EM II की रसीद (एक्नोलेजमेंट) पर्याप्त सबूत माना जावेगा।

अन्य शर्तें :

- योजना के अन्तर्गत सभी कामगार व उनके स्वयं सहायता समूह व क्लस्टर विकास योजनाओं में गठित SPV योजना के अन्तर्गत लाभ के लिए पात्र है, योजनान्तर्गत विपणन हेतु सहायता एक वित्तीय वर्ष में 5 से अधिक मेले/प्रदर्शनियों के लिये उपलब्ध नहीं होगी।
- सहायता केवल उसी कार्यरत हस्तशिल्पी को मिलेगी जो मेले में व्यक्तिगत रुप से स्वयं उपस्थित होगा। SHG/SPV के मामले में नामांकित व्यक्ति को व्यक्तिशः प्रदर्शनी में उपस्थित होना होगा।

सहायता की मात्रा :

सहायता की मात्रा कामगार के निर्माण स्थल से प्रदर्शनी स्थल की दूरी पर निर्भर करेगी जो इस प्रकार हैः

क्र.सं	सहायता का विवरण	ग्रामीण व शहरी हाट	राज्य में अन्य स्थल	राज्य के बाहर
1	स्टाल किराया (1) 2000/- रु0 तक संपूर्ण प्रदर्शनी अवधि का किराया	100%	100%	100%
	(2) 2001/- या अधिक स्टाल किराया होने पर 2000/- तक 100 % व इससे अधिक स्टाल किराया का ⟹ (एक बार में अधिकतम अनुदान 30000/- रू.)	75%	50%	50%
2	दैनिक भत्ता (प्रतिदिन)	250/-	250/-	350/-
3	यात्रा भत्ता	द्रुतगामी बस या द्वितीय शायिका श्रेणी हेतु निकटतम दूरी का वास्तविक आने-जाने के किराये के बराबर		

स्वीकृति की प्रकिया :

1. आशार्थी को **परिशिष्ट–1** में दर्शाये निर्धारित प्रारुप में संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा । आवेदन पत्र के साथ आर्टीजन / बुनकर परिचय पत्र की प्रति या EM II की प्रति भी संलग्न करनी होगी ।

2. आवेदन प्राप्ति पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र 10 कार्यकारी दिवस के भीतर एक निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेगा । इस निरीक्षण में यह सुनिश्चित किया जावेगा कि :–

- ❖ क्या इकाई वर्तमान में कार्यरत हैं ?
- ❖ आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज व सूचना सही है ।

3. निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित जिले के **महाप्रंबधक** 10 कार्यकारी दिवस की अवधि के भीतर **परिशिष्ट–2** में वर्णित प्रपत्र में एक **"परिचय पत्र"** जारी करेंगे और यदि परिचय पत्र जारी किया जाना संभव नहीं हो तो कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदक को सूचित करेंगे ।

4. आर्टिजन इस परिचय पत्र को जिस वित्तीय **वर्ष** में जारी हुआ है, के लिए अधिकतम 5 प्रदर्शनियों / मेलो में भाग लेने हेतु प्रयुक्त कर सकेगा ।
5. आवेदक को आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त प्रकिया से पुनः आवेदन करना होगा
6. मेले / प्रदर्शनी में भाग लेने के पश्चात् आर्टीजन को **परिशिष्ट–3** में वर्णित प्रपत्र में निम्न दस्तावेजो के साथ क्लेम प्रस्तुत करना होगा :–
    1. आर्टिजन / बुनकर परिचय पत्र की फोटोप्रति या जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी EM II की प्राप्ति रसीद (एक्नोलेजमेंट) की प्रति ।
    2. जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये परिचय पत्र की फोटो प्रति।
    3. प्रदर्शनी आयोजक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति ।
    4. स्टाल ुल्क जमा की रसीद की मूल प्रति व एक स्वप्रमाणित फोटो प्रति ।
    5. क्लेम फार्म प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र 10 कार्यकारी दिवस की अवधि के भीतर स्वीकृति पत्र जारी करेगा । स्वीकृति पत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 कार्यकारी दिवस की अवधि के भीतर राशि का भुगतान बजट उपलब्धता के आधार पर संबंधित को कर दिया जावेगा ।

योजना की समीक्षाः

योजना की समीक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा समय समय पर की जावेगी। आयुक्त उद्योग योजना की समीक्षा/पुनरावलोकन समय-समय पर करेगें।

योजना में परिवर्तन एवं परिवर्धन :

योजना में किसी बिन्दु पर व्याख्या, संशोधन एवं परिवर्द्धन के अधिकार आयुक्त उद्योग राजस्थान में निहित होगे।

यह वित्त विभाग की आई.डी.सं.101201441 दिनांक 30.04.2012 से अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से

(डा. मोहनलाल यादव)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. शासन सचिव, लघु उद्योग खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग।
8. आयुक्त, उद्योग विभाग राजस्थान जयपुर।
9. आयुक्त,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
12. निदेशक प्रिन्टिग एवं स्टेशनरी, राजस्थान जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करे।
13. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र समस्त
15. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

डॉ. मोहन लाल यादव
शासन उप सचिव
उद्योग (ग्रुप-2) विभाग

6

राजस्थान सरकार

उद्योग(ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.6 (15)उद्योग/ग्रुप–2/2012 जयपुर   दिनांक : 24 JUL 2014

–:अधिसूचना:–

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.06.2012 द्वारा जारी "शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना" जिसकी अवधि दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2014 निर्धारित की गई थी, में निम्नांकित संशोधन किये जाकर दिनांक 31.03.2015 तक (एक वर्ष) की अवधि के लिए अधिवृद्धि किये जाने की राज्यपाल महोदय की ओर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

मूल योजना में प्रावधित **"सहायता की मात्रा"** को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

योजना में संशोधन

क्र.स.	सहायता का विवरण	ग्रामीण व शहरी हाट	राज्य में अन्य स्थल	राज्य के बाहर
1.	स्टाल किराया			
	(अधिकतम अनुदान 4000रू.)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	दैनिक भत्ता	350/–	350/–	450/–
3.	यात्रा भत्ता	द्रुतगामी बस या द्वितीय शयिका श्रेणी हेतु निकटतम दूरी का वास्तविक किराया		

विभाग एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् योजना की उपलब्धियों एवं भावी आवश्यकता का आंकलन कर प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिशिचित करेगा।

योजना की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101402689 दिनांक 16.07.2014 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शुचि शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान जयपुर।
3. निजि सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (उद्योग) राजस्थान जयपुर।
4. निजि सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग।
8. आयुक्त, उद्योग विभाग राजस्थान जयपुर।
9. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
12. निदेशक प्रिन्टिग एवं स्टेशनरी, राजस्थान जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
13. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र समस्त।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः– प0 6(15)उद्योग/2/2012 जयपुर, दिनांक 21-04-2015

:– अधिसूचना :–

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.06.2012 द्वारा जारी **"शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना"** जिसकी अवधि दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2014 तक प्रभावी थी।

तत्पश्चात् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.07.2014 द्वारा उक्त योजना में आशिंक संशोधन किया जाकर इस योजना की अवधि में दिनांक 31.03.2015 तक (एक वर्ष) की अवधि के लिए अभिवृद्धि की गई थी।

अब उक्त योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2018–19 तक बढ़ाये जाने की राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

योजना की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 131500131 दिनांक 09.04.2015 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शुचि शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजि सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग
6. प्रमुख शासन सचिव, लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त संम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. विशिष्ठ शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
12. निदेशक प्रिन्टिग एवं स्टेशनरी, राजस्थान जयपुर को मय सीडी के प्रेषित कर निवेदन है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण राजपत्र में कराने हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
13. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप--2) विभाग

क्रमांक प. 6 (15) उद्योग / ग्रुप–2 / 2012 जयपुर, दिनांक 19 JUL 2019

–: अधिसूचना :–

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.07.2014 एवं अधिसूचना दिनांक 21.04.2015 की निरन्तरता में **"शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना–2012"** की दिनांक **01.04.2019 से 31.03.2024** तक बढ़ाये जाने की राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित संशोधनों के साथ प्रदान की जाती है:–

		योजना में प्रस्तावित संशोधन		
क्र. सं.	सहायता का विवरण	ग्रामीण व शहरी हाट	राज्य मे अन्य स्थल	राज्य के बाहर
1	स्टॉल किराया (अधिकतम अनुदान 4000 / –रू.	50% कुल स्टॉल किराया	50% कुल स्टॉल किराया	50% कुल स्टॉल किराया
2	दैनिक भत्ता (प्रतिदिन)	400 / –	450 / –	550 / –
3	यात्रा भत्ता	द्रुतगामी बस या द्वितीय शयिका श्रेणी हेतु निकटतम दूरी का वास्तविक किराया		

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 101902815 दिनांक 27.06.2019 एवं आयोजना विभाग की आई.डी संख्या 35 दिनांक 17.07.2019 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

JD(44)/ F.A

राज्यपाल की आज्ञा से,

(उर्मिला राजोरिया)
विशिष्ट शासन सचिव

19 JUL 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान,जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, उद्योग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
12. निदेशक, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, राजस्थान जयपुर को मय सी.डी. के प्रेषित कर निवेदन है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण राजपत्र में कराने हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
13. श्री संजीव सक्सैना, संयुक्त निदेशक, उद्योग(नोंडल अधिकारी) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण राजपत्र में आनलाईन अपडेट कराया जाना सुनिश्चित करें।
14. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
16. रक्षित पत्रावली।

(बद्री प्रसाद मेरह्वाल)
सहायक शासन सचिव

परिशिष्ट–1

शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजनान्तर्गत आवेदन पत्र

महाप्रबन्धक,

जिला उद्योग केन्द्र,

....

महोदय / महोदया,

मैं / हम शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजनान्तर्गत लाभ लेने के इच्छुक है। इस हेतु मै / हम निम्न प्रकार विवरण प्रस्तुत करते है :–

1	आवेदक का नाम (अंग्रेजी के बडे अक्षरों में)	
2	आवेदक का नाम (हिन्दीं में)	
3	पिता का नाम एकल स्वामित्व वाली इकाईयों या प्रमुख कार्यकारी का नाम (स्वयं सहायता समूह या एसपीवी के प्रकरण में)	
4	श्रेणी (जो लागू न हो उसे काट दे)	अजा.जाति / अ.पि.व / अ.सं. / विकलांग / भू.पू.सैनिक / एसपीवी / एसएचजी / सामान्य
5	पूर्ण पत्राचार का पता	
6	ई मेल	
7	दूरभाष नं. मय कोड	
8	मोबाईल नं.	
9	स्वयं सहायता समूह / एसपीवी के प्रकरण में मुख्य कार्यकारी का नाम व पता	
10	क्या आवेदक के पास विकास आयुक्त हस्तशिल्प / हाथकर्घा द्वारा जारी वैद्य परिचय पत्र है यदि हां तो परिचय का कमांक व दिनांक (स्वयं के द्वारा प्रमाणित प्रति भी संलग्न करें)	
11	जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी पार्ट–II का एक्नोलेजमेन्ट पत्र की संख्या व दिनांक (स्वयं के द्वारा प्रमाणित प्रति भी संलग्न करें)	
12	उत्पाद	
13	वार्षिक उत्पादन क्षमता	
14	क्या आपके द्वारा गत वर्ष कोई निर्यात किया गया है तो कहां और भारतीय मुद्रा में कीमत	
15	गत वर्ष कितने मेले / प्रदर्शनियों में भाग लिया गया है और उनकी संचित बिक्री का विवरण	

आवेदक के हस्ताक्षर

शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना

पात्रता:

वे सभी आर्टीजन, हस्तशिल्पी और हाथकरघा बुनकर व उनके स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर में कार्यरत SPV इस योजना मे पात्र है, जो राजस्थान राज्य की सीमा में विनिर्माणरत हैं। इस हेतु विकास आयुक्त, हस्तशिल्प या हाथकरघा से जारी परिचय पत्र या जिला उद्योग केन्द्र से जारी EM II की रसीद(एक्नोलेजमेंट) पर्याप्त सबूत माना जावेगा।

अन्य शर्ते :

- योजना के अन्तर्गत सभी कामगार व उनके स्वयं सहायता समूह व क्लस्टर विकास योजनाओं में गठित SPV योजना के अन्तर्गत लाभ के लिए पात्र है, योजनान्तर्गत विपणन हेतु सहायता एक वित्तीय वर्ष में 5 से अधिक मेले/प्रदर्शनियों के लिये उपलब्ध नहीं होगी।
- सहायता केवल उस ही हस्तशिल्पी को मिलेगी जो मेले में व्यक्तिगत रुप से स्वयं उपस्थित होगा। SHG/SPV के मामले में नामांकित व्यक्ति को व्यक्तिशः प्रदर्शनी में उपस्थित होना होगा।

सहायता की मात्रा :

सहायता की मात्रा कामगार के निर्माण स्थल से प्रदर्शनी स्थल की दूरी पर निर्भर करेगी जो इस प्रकार है:

क.सं	सहायता का विवरण	ग्रामीण व शहरी हाट	राज्य में अन्य स्थल	राज्य के बाहर
1	स्टाल किराया (1) 2000/- रू0 तक संपूर्ण **प्रदर्शनी अवधि का किराया** (2) 2001/- या अधिक स्टाल किराया होने पर 2000 से अधिक स्टाल किराया का (एक बार में अधिकतम अनुदान 30000/- रू.)	100% 75%	100% 50%	100 % 50 %
2	दैनिक भत्ता (प्रतिदिन)	250/-	250/-	350/-
3	यात्रा भत्ता	दुतगामी बस या द्वितीय शायिका श्रेणी हेतु निकटतम दूरी का वास्तविक आने-जाने के किराये के बराबर		

स्वीकृति की प्रकिया :

1. आशार्थी को **परिशिष्ट-1** में दर्शाये निर्धारित प्रारुप में संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा । आवेदन पत्र के साथ आर्टीजन/बुनकर परिचय पत्र की प्रति या EM II की प्रति भी संलग्न करनी होगी ।
2. आवेदन प्राप्ति पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र 10 कार्यकारी दिवस के भीतर एक निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेगा । इस निरीक्षण में यह सुनिश्चित किया जावेगा कि :-

❖ क्या इकाई वर्तमान में कार्यरत हैं ?
❖ आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज व सूचना सही है ।

3. निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित जिले के महाप्रबंधक 10 कार्यकारी दिवस की अवधि के भीतर **परिशिष्ट-2** में वर्णित प्रपत्र में एक **"परिचय कार्ड"** जारी करेंगे और यदि परिचय कार्ड जारी किया जाना संभव नहीं हो तो कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदक को सूचित करेंगे ।
4. आर्टिजन व इस परिचय कार्ड को जिस वित्तीय वर्ष में जारी हुआ है, के लिए अधिकतम 5 प्रदर्शनियों/मेलो में भाग लेने हेतु प्रयुक्त कर सकेगा ।
5. आवेदक को आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त प्रकिया से पुनः आवेदन करना होगा ।
6. मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने के पश्चात् आर्टीजन को **परिशिष्ट-3** में वर्णित प्रपत्र में निम्न दस्तावेजो के साथ क्लेम प्रस्तुत करना होगा :-
   1. आर्टिजन/बुनकर परिचय पत्र की फोटोप्रति या जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी EM II की प्राप्ती रसीद की प्रति ।
   2. जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये परिचय पत्र की फोटो प्रति।
   3. प्रदर्शनी आयोजक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति ।
   4. स्टाल शुल्क जमा की रसीद की मूल प्रति व एक स्वप्रमाणित फोटो प्रति ।
7. क्लेम फार्म प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र 10 कार्यकारी दिवस की अवधि के भीतर स्वीकृति पत्र जारी करेगा । स्वीकृति पत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 कार्यकारी दिवस की अवधि के भीतर राशि का भुगतान बजट उपलब्धता के आधार पर संबंधित को कर दिया जावेगा ।

9

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र

वित्तीय वर्ष--------

शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजनान्तर्गत

परिचय पत्र सं.-------/20

आवेदक का नाम	
पत्राचार का पूर्ण पता	
मुख्य कार्यकारी का नाम एसएचजी व एसपीवी के प्रकरण में	
दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित	
मोबाईल संख्या	
विकास आयुक्त हस्तशिल्प/ हाथकर्घा द्वारा जारी परिचय पत्र का कमांक व दिनांक	
जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी एक्नोलेजमेन्ट (आईईएम पार्ट-II) की संख्या व दिनांक	

आवेदक का नाम			आवेदक/मुख्य कार्यकारी की नवीनतम फोटो महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित
पत्राचार का पूर्ण पता			
मुख्य कार्यकारी का नाम एसएचजी व एसपीवी के प्रकरण में			
दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित			
मोबाईल संख्या			
विकास आयुक्त हस्तशिल्प/ हाथकर्घा द्वारा जारी परिचय पत्र का कमांक व दिनांक			
जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी आईईएम पार्ट–II की संख्या व दिनांक			

हस्तशिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजनान्तर्गत परिचय पत्र कमांक --------

क.सं.	प्रदर्शनी/मेले का विवरण मय स्थान	अवधि	आयोजक का नाम व पूर्ण पता	आवंटित स्टाल की संख्या व कुल बिकी	मेला/प्रदर्शनी आयोजक के प्रतिनिधी के हस्ताक्षर मय मोहर	जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तु क्लेम की राशि व दिनांक	भुगतान की तिथि व राशि
1							
2							
3							
4							
5							

शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजनान्तर्गत राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम प्रपत्र

आवेदक का नाम	
पत्राचार का पूर्ण पता	
स्वंय सहायता समूह/एसपीवी के प्रकरण में मुख्य कार्यकारी का नाम	
दूरभाष संख्या एस.टी.डी.कोड सहित	
मोबाईल नं.	
विकास आयुक्त हस्तशिल्प/हाथकर्घा द्वारा परिचय पत्र कमांक व दिनांक	
जिला उद्योग केन्द्र द्वारा एमएसएमई पार्ट–II की संख्या व दिनांक	
कुल मेले एवं प्रदर्शनियों की संख्या जिनमे भाग लिया गया	
मेला प्रदर्शनी का स्थान	
मेला प्रदर्शनी आयोजक का नाम व पूर्ण पता	
...प्रदर्शनी की अवधि	

मांगी गयी राशि का विवरण

रवानगी का विवरण			पंहुच का विवरण			यात्रा का साधन एवं दूरी	वास्तविक किराया जो भुगतान किया गया	स्टाल किराये का विवरण		दैनिक भत्ता		महायोग
स्थान	दिनांक	समय	स्थान	दिनांक	समय				भुगतान योग्य स्टाल रेन्ट	दिन	राशि	
								रसीद संख्या व दिनांक		-	-	
								भुगतान की गयी राशि				
प्रत्येक कॉलम का योग												
मांगी गयी राशि शब्दों में							रूपय					

आवेदक के हस्ताक्षर

...पत्र के साथ स्व प्रमाणित निम्न दस्तावेज संलग्न किये जावे :–

(1). विकास आयुक्त हस्तशिल्प से जारी परिचय पत्र की प्रति

(2) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से जारी एमएसएमई पार्ट–II की स्व प्रमाणित प्रति

(3). आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराये गये सहभागिता प्रमाण पत्र की प्रति

(4). जमा कराये गये स्टाल रेन्ट की मूल व स्व प्रमाणित प्रति

कार्यालय उपयोग हेतु

8- 1. जिला उद्योग केन्द्र क्लेम प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि-------------------- 2. स्वीकृति/अस्वीकृति की तिथि----------

2.यदि प्रकरण स्वीकृत किया गया है तो स्वीकृत राशि -------------

3.यदि प्रकरण निरस्त किया गया है तो कारण बताये.......................................

4.अनुदान राशि वितरण की तिथि.......................................

लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार के हस्ताक्षर

महाप्रबन्धक के हस्ताक्षर